तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
15.9.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट **आदेश** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–7–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वर्ष 1965 में बतौर भाखरा भूमिहीन के चक 12 एपीडी का मुरब्बा नंबर 256/399 में 13 बीघा 16 बिस्वा व मुरब्बा नंबर 257/399 में 11 बीघा 12 बिस्वा कुल 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ। उक्त आवंटन के विरूद्ध शिकायत किये जाने पर अपीलार्थी का आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 15–07–76 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29–7–03 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम, विधि एवं रिकार्ड के विपरीत है। अपीलार्थी के पक्ष में नियमानुसार आवंटन किया गया था। उपायुक्त उपनिवेशन श्रीविजयनगर ने अपीलांट की अनुपस्थिति में मौके पर जाकर जांच की और मनमाने व्यक्तियों के बयान लेकर जांच पूर्ण कर ली। केवल बयानों के आधार पर अपीलार्थी का आवंटन निरस्त किया गया। मौके पर अपीलांट की ढाणी बनी हुई है तथा अपीलांट इसके पूर्व में ग्राम कमरानियां में ही आबाद था। आवंटन अधिकारी ने एकतरफा में आवंटन निरस्त किया है। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि का बेचान करना अथवा इकरारनामा कहीं भी सिद्ध नहीं है एंव ना ऐसा कोई प्रमाण पेश हुआ। गवाह इंद्रसिंह व गोमासिंह ने बयान दिये हे कि अपीलांट के नाम का रायसिख पनीवाली में रहता था परंतु उसे अनूपगढ तहसील में कोई भूमि आवंटन नहीं हुई बल्कि अन्य ने आवंटन कराई है। गवाह को उपस्थित नहीं कराया गया। सिर्फ बयानों के आधार पर	

आवंटन निरस्त किया। अपीलीय न्यायालय ने गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष अंकित नही किया। केवल मियाद के आधार पर अपील को खारिज कर दिया। अपीलांट का आवंटन गलत खारिज किया गया, विशेषकर अपीलार्थी जब आवंटन की समस्त शर्तों की पूर्ति करता हो तथा अपीलार्थी द्वारा आवंटन छल–कपट द्वारा नहीं करवाया गया है। अपीलांट का आवंटन विधिवत तौर से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आवंटन के पश्चात् से विवादित आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं की है। किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलांट का विधिवत आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे।

4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि अपीलांट कमरानियां में आबाद नहीं है तथा भूमि बेचकर चले गये है। पूर्ण जांच किये जाने के पश्चात् ही आवंटन अधिकारी ने अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट को वर्ष 1965 में बतौर भाखड़ा भूमिहीन के चक 12 एपीडी का मुरब्बा नंबर 256/399 में 13 बीघा 16 बिस्वा व मुरब्बा नंबर 257/399 में 11 बीघा 12 बिस्वा कुल 25 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ। उक्त आवंटन के विरूद्ध शिकायत किये जाने पर अपीलार्थी का आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 15–07–76 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29–7–03 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
आवंटन अधिकारी ने विवादित आराजी के समीपस्थ खातेदारों से मौके पर जाकर बयान आदि लेने के पश्चात् अपीलांट का ग्राम कामरानियां में आबाद नहीं होने एवं भूमि का बेचान कर अन्यत्र चले जाने के आधार पर अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील आदेश दिनांक 15–7–76 के विरुद्ध दिनांक 15.6.83 को लगभग 7 वर्ष पश्चात न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 10–7–76 को नादर सिंह 45

पन्नीवाली में उपस्थित है। जिसके अंगुठा निशानी फर्दअहकाम पर अंकित है एवं आगामी पेशी दिनांक 11.7.76 को दी गई। उस दिन गवाह भामूराम, जगदीश व केशुराम के बयान लिये गये एवं आगामी पेशी निर्णय हेतु 15.7.76 नियत की गई एवं उक्त दिन को आवंटन खारिज के आदेश पारित कर दिये। इस प्रकार स्पष्ट है कि नावरसिंह को अपने विरूद्ध चल रही कार्यवाही का इल्म था एवं वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होता रहा है। उसके पश्चात भी अपील लगभग 7 वर्ष विलम्ब से पेश की है जिसके सम्बन्ध में संतोषजनक पर्याप्त एवं विश्वसनीय कारण नहीं बताये जाने के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दिया। इसके अलावा जांच के समय गवाहान ने मौके पर नादर सिंह के नहीं रहने की स्थिति में ही विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच के पश्चात ही अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जाना मानते हुये अपीलीय न्यायालय ने अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के साथ–साथ गुणावगुण पर भी स्वीकार योग्य नहीं मानी है। हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य साबित करने में विफल रहे है, जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जा सके। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य होने से अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति के लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य